2019/00370

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 350/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

केनरा बैंक शाखा वैशाली नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स यूनीवर्सल एग्रो प्रोपराईटर श्री अमित सरोहा
   प्लाट नं॰ 2, कल्याण नगर द्वितीय, नये बंगले के पीछे, टौंक रोड, जयपुर ।
2. श्री अमित सरोहा पुत्र स्व॰ श्री विजय पाल सिंह सरोहा
3. श्रीमती कमलेश सरोहा पत्नी स्व॰ श्री विजय पाल सिंह सरोहा
   प्लाट नं॰ 2, कल्याण नगर द्वितीय, नये बंगले के पीछे, टौंक रोड, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1.श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

2.श्री जीतेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

(जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.))

आदेश दिनांक 11.11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 21.01.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती कमलेश सरोहा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ 2, कल्याण नगर द्वितीय, नये बंगले के पीछे, टौंक रोड, जयपुर क्षेत्रफल 192.29 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 30,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.10.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक समपत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री जीतेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बैंक से ऋण लेना स्वीकार किया एवं जबाब हेतु अवसर चाहा है, किन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ऋणी को अवसर दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नही है। प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.10.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी के धारा 13 (2) के नोटिस की प्राप्ति की पुष्टि में प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। श्रीमती कमलेश सरोहा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लाट नं॰ 2, कल्याण नगर द्वितीय, नये बंगले के पीछे, टौंक रोड, जयपुर क्षेत्रफल 192.29 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 11-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर